

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची,

दिनांक :- 28-2-14

अधि.सं.-02/स्था.(प्रति.)-13-03/2014.....1845/जल संसाधन विभाग में कार्यरत निम्न सहायक अभियंताओं को कार्यहित में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित कार्यालय में अगले छः माह के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	सहायक अभियंता का नाम/ आई.डी./ जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदनाम/ प्रतिनियुक्त कार्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शम्भु नाथ सिंह जे 9120/05.07.68/ सारण	कोनार नहर अवर प्रमंडल सं.-01, डुमरी	सहायक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा	
2	श्री मधुसूदन सिंह जे 4764/ 20.01.57/ गया	लघु वितरणी अवर प्रमंडल सं.-03, गालूडीह (लघु वितरणी प्रमंडल सं.-04, गालूडीह)	सहायक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा	
3	श्री मदन मोहन सिंह जे 7773/08.09.62/ मुंगेर	सिंचाई अवर प्रमंडल, लोवाडीह	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग जल संसाधन राँची का कार्यालय में।	

2. उपरोक्त पर माननीया विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 1845

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

1845

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीया विभागीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/ब, 7/यो., एवं 08ए, 08बी एवं 14/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)